

**राजस्थान विधान सभा**  
**द्वितीय सत्र**  
**कार्य-सूची**  
**शुक्रवार, दिनांक 25 जुलाई, 2014**  
**बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे**

**1. प्रश्न**

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

**2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव**

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री कैलाश वर्मा, सदस्य, विधान सभा, बृज बिहार कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर में हाईटेंशन लाईन को भूमिगत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

**3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि**

**वार्षिक प्रतिवेदन**

श्री गुलाब चन्द कटारिया, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25(4) के अन्तर्गत राजस्थान सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 सदन की मेज पर रखेंगे ।

**4. याचिकाओं का उपस्थापन**

- I- राजकुमारी दियाकुमारी, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में चम्बल-सवाई माधोपुर-नादोती पेयजल परियोजना के अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।
- II- श्रीमती अलका सिंह, सदस्य, विधान सभा, ग्राम पंचायत आभानेरी में मौणाजी मंदिर से तिवाडियों की कोठी तक सड़क निर्माण बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।
- III- श्री मनोज कुमार, सदस्य, विधान सभा, राजगढ़ से पिलानी रोड पर रेलवे फाटक पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।
- IV- श्री घनश्याम, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की सड़कों का नवीनीकरण एवं डामरीकरण करवाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।
- V- श्री अमृतलाल, सदस्य, विधान सभा, जयसमन्द झील को पानी से भरने एवं निरन्तर हरी-भरी रखने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।
- VI- श्री अर्जुनलाल, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र बिलाडा के राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण एवं रिक्त पदों को भरने तथा छात्र संख्या बढ़ाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

जारी..2..

VII- श्री जोगाराम पटेल, सदस्य, विधान सभा, विभिन्न समाजों के न्याति नौहरों को नगरीय विकास कर से मुक्त करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

VIII- श्री सुरेन्द्र पारीक, सदस्य, विधान सभा, बहूपुरी खुरे से पौण्डरिक उद्यान तक सड़क के दोनों ओर बिजली की केबल, सीवरेज, पेयजल की लाईन पृथक से डलवाये जाने तथा गंदे पानी की निकासी हेतु अलग से सीमेंट के बड़े ब्लॉक्स डलवाये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

IX- श्री बाबूसिंह, सदस्य, विधान सभा, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

- (1) बजट भाषण 2014-2015 में की गई घोषणानुसार विधान सभा क्षेत्र शेरगढ में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करवाने बाबत् ।
- (2) बजट भाषण 2014-2015 में की गई घोषणानुसार विधान सभा क्षेत्र शेरगढ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करवाने बाबत् ।

X- श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य, विधान सभा, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

- (1) पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अराई कस्बे में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2014-2015 में करवाये जाने बाबत् ।
- (2) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ के ग्राम सुरसुरा में स्थित वीर तेजाजी महाराज निर्वाण स्थली एवं लाच्छा बावड़ी को धार्मिक स्थल घोषित कर जीर्णोद्धार कराने बाबत् ।

XI- श्री मदन राठौड़, सदस्य, विधान सभा, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

- (1) सुमेरपुर में रीको का अतिरिक्त प्रबन्ध निदेशक कार्यालय खोलने बाबत् ।
- (2) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के जवाई कमाण्ड क्षेत्र में आरडी 61500 के पास नहर पर किसानों के आवागमन हेतु पुलिया निर्माण करने एवं सिन्दरू आरडी 63500 पर कच्ची फीडर नहर को पक्की बनाने बाबत् ।

### 5. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री राजपाल सिंह शेखावत, सभापति, राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

- 1- राजस्थान राज्य वित्त निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा) वर्ष 1998-99 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का प्रथम प्रतिवेदन ;
- 2- राजस्थान राज्य पूल एवं निर्माण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा) वर्ष 1999-2000 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का द्वितीय प्रतिवेदन ;

जारी..3..

..3..

- 3- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लि0(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा) वर्ष 2000-01 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का तृतीय प्रतिवेदन ;
- 4- राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लि0(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा) वर्ष 2007-08 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का चतुर्थ प्रतिवेदन ;
- 5- राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा) वर्ष 2007-08 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का पांचवा प्रतिवेदन ;
- 6- राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा) वर्ष 2006-07 व 2007-08 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का छठा प्रतिवेदन ;
- 7- राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि. (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा) वर्ष 2008-09 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का सातवां प्रतिवेदन ;
- 8- राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा) वर्ष 2004-05 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2010-11 के 29वे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक परिपालनात्मक राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का आठवां प्रतिवेदन ;
- 9- राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा) वर्ष 2005-06 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2010-11 के 30वे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक परिपालनात्मक राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का नवां प्रतिवेदन ;
- 10- राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लि.(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा) वर्ष 2007-08 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2010-11 के 51वे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक परिपालनात्मक राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का दसवां प्रतिवेदन ;
- 11- राजस्थान वित्त निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा) वर्ष 2004-05 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2011-12 के 68वे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक परिपालनात्मक राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का ग्यारहवां प्रतिवेदन ;
- 12- राजस्थान वित्त निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा) वर्ष 2005-06 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2011-12 के 69वे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक परिपालनात्मक राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का बारहवां प्रतिवेदन ;
- 13- राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा) वर्ष 2003-04 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2011-12 के 83वे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक परिपालनात्मक राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का तेरहवां प्रतिवेदन ;
- 14- राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा) वर्ष 2004-05 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2012-13 के 98वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक परिपालनात्मक राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का चौदहवां प्रतिवेदन ; एवं

- 15- ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा) वर्ष 2007-08 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2013-14 के 112वे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक परिपालनात्मक राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 का पन्द्रहवां प्रतिवेदन ।

## **6. विधायी कार्य**

### **पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक**

#### **(I) औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014**

- (I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

औद्योगिक विवाद(राजस्थान संशोधन)  
विधेयक, 2014  
(2014 का विधेयक संख्या-17)

"औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को, उसके राजस्थान राज्य में लागू करने के निमित्त और संशोधित करने के लिये विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगी।

#### **(II) शिक्षु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014**

- (I) श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

शिक्षु (राजस्थान संशोधन)  
विधेयक, 2014  
(2014 का विधेयक संख्या-18)

"शिक्षु अधिनियम, 1961 को उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के निमित्त और संशोधित करने के लिये विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

## **7. परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2014-2015**

### **द्वितीय अवस्था**

#### **अनुदान की मांग पर विचार एवं मतदान**

अनुदान की मांग संख्या-46-सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) पर विचार एवं मतदान होगा ।

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

तौफीक हुसैन हाशमी  
उप सचिव (सामान्य)

विधान सभा भवन,  
जयपुर  
दिनांक 24 जुलाई, 2014